न्यायालय तहसीलदार मूण्डवा जिला नागौर

निर्णय दिनांकः– 24.3-2017 मिसल नम्बर :– 255/2017

पत्रावली आज पेश हुई ।

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का.......मूण्डवा......ने भू.अभिलेख निरीक्षक......मूण्डवा से सत्यापित एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी छोटूराम......पुत्र......मधुराम.........जाति .... निवासी मूण्डवा......ने मौजा/राजस्व ग्राम ..मूण्डवा......के खसरा नम्बर .1591... रकबा ....0-03 ..... किस्म भूमि ....पर संम्वत 2073 में अवैध रूप से अतिक्मण किया है।

इस पर अप्रार्थी के विरूध 91 एल आर एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर नोटिस जारी किया गया है। नोटिस की विधिवत तामील के पश्चात अप्रार्थी ~~उपस्थित~~/अनुपस्थित। परन्तु किये गये अतिक्मण के पक्ष में कब्जे के सबूत बाबत कोई सन्तोषजनक जबाब अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। पुराने कब्जे के बाबत् भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके अनुसार अतिक्मी का मुतनाजा अराजी पर कब्जा है। अतः एल आर एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत अप्रार्थी अतिक्मी घोषित किया जाता है एवं उपरोक्त अतिक्मी भूमि से बेदखली आदेश दिये जाते है। तथा अतिचार करने के फलस्वरूप लगान0-07...प्रतिवर्ष का 50 गुणा कुल....4/......रूपये बतौर जुर्माना आरोपित किया जाता है।

पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक अतिक्मी को अतिक्मण स्थल से भौतिकरूप से बेदखल करके फर्द बेदखली रिपोर्ट पेश करे साथ ही जुर्माना वसूल कर पालना रिपोर्ट पेश करे। तहसील राजस्व लेखाकार (टी.आर.ए.) व पटवारी हल्का को आदेर्शित किया जाता है कि मांग दर्ज कर वसूल करे।

निर्णय सर इजराय सुनाया गया। पत्रावली निर्णीतशुमार होकर नम्बर से कम हो।

मोहर

2016-17
6 25
4

तहसीलदार मूण्डवा
तहसीलदार मूण्डवा
जिला नागौर